रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 1985/पौष 18, 1906
No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 1985/PAUSA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1985

सा. का. नि. 14(अ)/आ. व./चीनी :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी (1983-84 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश, 1984 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (1983-84 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) संशोधन आदेश, 1985 है ।

(2) यह तुरन्त लागू होगा ।

2. चीनी (1983-84 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) *आदेश, 1984 में,—

(क) अनुसूची 5 में, "उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम सं. (19) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम स. और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(20) दि यू.पी. स्टेट शुगर कौरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट सखोटी-टांडा, डा. घ. सखोटीटांडा, जिला मेरठ ।" ;

(ख) अनुसूची 6 में, "उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)" शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. (4) और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

[2-10/83-एस पी वाई (डी-2]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

*सा.का.नि. 28(अ)/आ.व./चीनी, तारीख 11-1-1984
सा.का.नि. 306(अ)/आ.व./चीनी, तारीख 27-4-84
सा.का.नि. 510(अ)/आ.व./चीनी, तारीख 12-7-84
सा.का.नि. 669(अ)/आ.व./चीनी, तारीख 18-9-84

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 8th January, 1985

G.S.R. 14(E)|Ess. Com.|Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential|Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following order further to amend the Sugar (Price Determination for 1983-84 Production) Order, 1984, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1983-84 Production) Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force at once.

In the Sugar (Price Determination for 1983-84 Production) Order 1984,—

(a) in Schedule V, under the heading "UTTAR PRADESH (WEST)", after serial number (19) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

"(20) The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Sakhotitanda, P.O. Sakhotitanda, District Meerut."

b) in Schedule VI, under the heading "UTTAR PRADESH (WEST)" serial number (4) and the entry relating thereto shall be omitted.

[2-10|83-SPY(D.II)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)

G.S.R. 28(E)/Ess. Com./Sugar dated 11-1-1984.
G.S.R. 306(E)/Ess. Com./Sugar dated 27-4-1984.
G.S.R. 510(E)/Ess. Com./Sugar dated 12-7-1984.
G.S.R. 669(E)/Ess. Com./Sugar dated 18-9-1984.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985